न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–21/2023

1. सुशील कुमार पुत्र श्योसिंह जाति जाट साकिन डाबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांक–05.03.2024

अपील अपीलांट सुशील कुमार पुत्र श्योसिंह जाति जाट साकिन डाबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ द्वारा निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) भादरा दिनांक 26.05.2023 प्रकरण संख्या 05/2022, जिसमें वसीयत के मुताबिक इंतकाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र खारीज किया गया, को निरस्त कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करवाने बाबत् अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. सुशील कुमार पुत्र श्योसिंह जाति जाट साकिन डाबड़ी तहसील भादरा ने मातहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि रोही मौजा डाबड़ी तहसील भादरा के ख.न. 315, 316, 550, 586, 587, 322/700,663/712 की कुल 27.9560 हैक्टेयर भूमि में से 2.330 हैक्टेयर भूमि में 1/2 हिस्सा का रामचन्द्र पुत्र कासीराम जाति जाट साकिन डाबड़ी तहसील भादरा खातेदार काश्तकार था, जिसने अपने जीवन काल मे ही विवादित भूमि की एक वसीयत दिनांक 05.12.2007 को नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित अपने सगे भाई के लड़के अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी। रामचन्द्र पुत्र कासीराम जाति जाट साकिन डाबड़ी तहसील भादरा का दिनांक 26.05.2013 को देहांत हो गया। इसलिए बाद देहांत रामचन्द्र पुत्र कासीराम जाति जाट साकिन डाबड़ी तहसील भादरा अपीलान्ट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार हुआ। इसलिए अपीलान्ट ने मुताबिक वसीयत दिनांक 05.12.2007 के आधार पर विवादित भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए तहसीलदार (भू.अ.) भादरा की अदालत में एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जो बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:58:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सुनवाई दिनांक 26.05.2023 को प्रार्थना खारिज कर दिया गया, जो कि मातहत अदालत ने विधि के मान्य सिद्वान्तो के खिलाफ निर्णय किया है, जो निरस्त योग्य है।

2. मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व कानूनी स्थिति का गहन अवलोकन नहीं किया। कानूनी स्थिति के मुताबिक वसीयत किसी के पक्ष में की जा सकती है एवं वसीयत को भली भांति साबित करनें पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है। उसके वाबजूद भी विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

3. अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र के तथ्यो को साबित करने के लिये मातहत अदालत ने पटवारी हल्का से रिर्पाट ली गई। जिस पर पटवारी हल्का रिपोर्ट में दर्ज किया है कि विवादित भूमि वसीयतकर्ता की स्वअर्जित भूमि है एवं किसी प्रकार का विवाद व स्थगन आदेश नहीं है एवं साक्ष्य में वसीयत के गवाहों के फौत होने के कारण अरायजनवीस के बयान करवाये, जिससे प्रार्थना पत्र के तथ्यों को भलीभाति साबित किया। उसके वाबजूद भी मातहत अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में एक अहम भूल की है, जिस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

4. मातहत अदालत में विवादित भूमि एवं वसीयत बाबत् कोई आपति प्रस्तुत नहीं हुई कानूनी स्थिति के मुताबिक जहां स्वीकृति हो, वहां स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना चाहिये था। मातहत अदालत ऐसा नहीं कर विधि के मान्य सिद्वान्तो के खिलाफ निर्णय किया है जो निरस्त योग्य है।

5. मातहत अदालत ने अपने निर्णय में दर्ज किया है कि विवादित भूमि की वसीयत बाबत् दावा खारिज होने, वसीयत का कोई गवाह नहीं होने एवं वसीयत को प्रमाणितकर्ता नोटेरी भी नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। उक्त तथ्यों को आधार मानकर निर्णय किया है जबकि कानूनी स्थिति के मुताबिक वसीयत, वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा है, जो अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि की किसी के भी पक्ष में वसीयत कर सकता है जबकि वसीयत के दोनो गवाह व नोटेरी फौत हो चुके है एवं शेष गवाह अरायजनवीस के बयान करवाये गये है। वाद के खारीज होने का इस प्रार्थना पत्र पर कोई सारवान असर नहीं आता है। वसीयत पर किसी भी पक्षकार को कोई आपति नहीं है। इसलिए मुताबिक वसीयत विवादित भूमि अपीलान्ट के नाम अमल दरामद करने का आदेश जारी करना चाहिये था। उसके वाबजूद भी मातहत अदालत ने बिना किसी ठोस आधार के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है, इसलिये मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 26.05.2023 निरस्त कर प्रार्थना पत्र अपीलांट स्वीकार कर विवादित भूमि मुताबिक वसीयत दिनांक 05.12.2007 के आधार पर अपीलांट के नाम इन्तकाल दर्ज करने का आदेश तहसीलदार (भू.अ.) भादरा को फरमावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्त अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के गवाह के फौत होनें एंव वसीयत को प्रमाणितकर्ता नोटेरी पब्लिक के फौत होनें एंव प्रार्थी का दावा न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) भादरा में खारिज होनें का हवाला देकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया, जो कि न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं करके भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा का निर्णय दिनांक 26.05.2023 को अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि पुनः सुनवाई की जाकर एंव गहन जांच कर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 5.3.24 को सरेइजलास सुनाया गया

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:09 IST
Reason: SelfAttested